राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Ph.: 0141-2706847(O);

क्रमांक : एफ1() प्रशा./आकाशि/ Biometric/ 2019/ 4045 दिनांक:20. June 2019

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

विषय: महाविद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति के सन्दर्भ में।
सन्दर्भ : इस कार्यालय के पत्रांक 33 दिनांक 16.08.2018 एवं 1529 दिनांक 23.10.2018 के क्रम में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपर्युक्त संदर्भित आदेश में महाविद्यालय में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति दोनों समय (आगमन एवं निर्गमन) बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता के डैशबोर्ड से ज्ञात हुआ है कि अभी भी कुछ महाविद्यालयों में कुछ अधिकारी व कर्मचारी दोनों समय बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि –

1. सभी अधिकारियें व कर्मचारियों का पंजीकरण बायोमेट्रिक मशीन पर हो चुका है|
2. सभी कार्मिक महाविद्यालय में समय पर आ रहे है तथा बायोमेट्रिक मशीन पर दोनों समय (आगमन एवं निर्गमन) की उपस्थिति अंकित कर रहे हैं|
3. सभी कार्मिक अपने निर्धारित समय में महाविद्यालय में उपस्थित रहते है तथा समयपूर्व कार्य स्थल नहीं छोड़ते हैं|
4. यदि किसी कार्मिक की बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति अंकित होने से संबधित कोई समस्या है तो आयुक्तालय की IT Cell को कारण सहित तुरंत अवगत करावें|
5. मशीनें तकनीकी रूप से ठीक कार्य कर रही हैं एवं मशीन में सतत रूप से इन्टरनेट कनेक्टिविटी विद्यमान है| बायोमेट्रिक मशीन के संचालन में कोई तकनीकी समस्या होने पर उस तुरंत सही करवाने का पूर्णतः दायित्व महाविद्यालय का है| इस प्रयोजनार्थ महाविद्यालय स्वयं मशीन उपलब्ध करवाने वाली फर्म से 0141- 2364966 एवं 8104406224 संपर्क कर ठीक करवाना सुनिश्चित करें|

समस्त प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि 1 जुलाई, 2019 से सभी अधिकारी व कर्मचारी दोनों समय बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज करें तथा उक्त आदेश की अनुपालना नहीं करने वाले कार्मिको की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। महाविद्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस की दोनों समय (आगमन एवं निर्गमन) बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने का व्यक्तिशः उत्तरदायित्व प्राचार्य का होगा|

ध्यान दें की आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया की मोनिटरिंग की जा रही है|

(प्रदीप कुमार बोरड़ , IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव उच्च शिक्षा

क्रमांक : एफ1() प्रशा./आकाशि/ Biometric/ 2019/ 4045 दिनांक:20. June 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर
5. तकनीकी निदेशक, RISL, योजना भवन, जयपुर
6. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर
7. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
8. समस्त प्रभारी अधिकारी, कॉलेज समूह, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर
9. प्रोजेक्ट मेनेजर, अतिशय लिमिटेड, जयपुर
10. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

20/6/19
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)